संख्या-10/2026/।/1221723/2026/001-71-2099-234-2019

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 मे भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्कीम 'ए' सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के अन्तर्गत मानसिक रोग विभाग में मानव संसाधन विकास हेतु भवन निर्माण निर्माण हेतु 24 वृहद निर्माण मद के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किए जाने के के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3874/योजना अनुभाग/2025, दिनांक 24.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 मे भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्कीम 'ए' सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के अन्तर्गत मानसिक रोग विभाग में मानव संसाधन विकास हेतु भवन निर्माण हेतु 24 वृहद निर्माण मद के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 मे 24 (वृहत् निर्माण कार्य) अनुदान संख्या-4210-03-105-01-29 (NMHS के अंतर्गत KGMU उ0प्र0 में मानव संसाधन वि0 वि0 के 60 रा 40) के अंतर्गत भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्कीम 'ए' सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के अन्तर्गत मानसिक रोग विभाग में मानव संसाधन विकास हेतु भवन निर्माण हेतु पत्र पत्र संख्या-13/A071-20252026-71-2099-234-2019 दिनांक- 23 जनवरी, 2026 (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 3,84,67,000 (रुपये तीन करोड़ चौरासी लाख सड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1) प्रायोजना का भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।
2) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3) कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नागत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4) प्रायोजना हेतु निर्गत मूल शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

6) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

7) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यों की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव की होगी।

8) लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, के०जी०एम०यू० सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाले व्यय रुपये 3,84,67,000 (रुपये तीन करोड़ चौरासी लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050129 NMHS के अंतर्गत KGMU उ0प्र0 में मानव संसाधन वि0 के 60 रा 40 मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-10/2026/।/1221723/2026/71-2099-234-2019, दिनांक- 30 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकाचर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।